-20 पत्रावली पेश हुई। वादी की ओर से एड० श्री उपेन्द्र सिंह के जरिये उपस्थित। रिपोर्ट शपथ लिपिक ली गई। दावा उर्फ रीजर्व टू प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया जावे। पत्रावली दिनांक 17/2/20 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(मु०) सीकर

17/2/20 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। इस्तगासा वकील पत्रावली दिनांक 18/2/20 को पेश हो। P.O. नहीं० नं० पं० रोगाह पुनाह मार्फ के लिए है।

18/2/20 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी के पुनर्वाद से इंकार करते हुए कथन किया कि प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते। नोट प्रेस में जारी फरमाया जावे। अतः वकील वादी के अनुरोध पर दावा नोट प्रेस में जारी किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(मु०) सीकर

निर्णय आज दिनांक 18/2/20 को सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(मु०) सीकर

Note press
(illegible)